प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .....
   प्र0इ0रि0 सं. 500/22 दिनांक. 28/12/2022
2. (I) अधिनियम ...पी0सी0 एक्ट 1988 ..... धारायें 13(1)(डी),13(2)
   (II) अधिनियम .भा0दं0सं0 .. धारायें 420,467,468,471 व 120 बी
   (III) अधिनियम ..... धारायें .....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ..... 562 ..... समय . 4:50 pm
   (ब) अपराध घटने की दिनांक वर्ष 2012–2013 समय सही नही
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक समय
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक :– लिखित परिवाद
5. घटनास्थल :– जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर एवं जोन–14 जयपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–उत्तर दूरी 3 किलोमीटर ।
   (ब) 'पता
   .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....जिला .....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्रीमती मधु अग्रवाल
   (ब) पिता/पति का नाम श्री महेन्द्र कुमार
   (स) जन्म तिथि/वर्ष 55 वर्ष.....
   (द) राष्ट्रीयता भारतीय.....
   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....
   (र) व्यवसाय –गृहणी
   (ल) पता गांव –निवासी मकान नम्बर 3सी 23,प्रथम तल मालवीय नगर जयपुर

ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1–श्री अवधेश सिंह आर.ए.एस.तत्कालीन उपायुक्त जोन सं0 14 जेडीए जयपुर।

2–मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर।(प्राईवेट व्यक्ति)

3–श्रीमति नीरू अग्रवाल पत्नि श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर।(प्राईवेट व्यक्ति)

4–श्री राकेश कटारिया तत्कालीन अध्यक्ष पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर कार्यालय सी–18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा (प्राईवेट व्यक्ति) एवं अन्य पदाधिकारियों व जेडीए के अधिकारी/कर्मचारियों।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.....कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य –
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :

निवेदन है कि दिनांक 15.12.2016 को परिवादिया श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नि श्री महेन्द्र कुमार उम्र 54 साल निवासी 3सी 23,प्रथम तल मालवीय नगर जयपुर की एक शिकायत इस आशय कि प्राप्त हुयी कि पटेलनगर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर,सी–18 गायत्री नगर विस्तार रामपथ महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर की स्कीम इन्द्रप्रस्थ विहार टोंक रोड़ बीलवा राधास्वामी सत्संग के पीछे के प्लाट संख्या डी–17 क्षेत्रफल 533.30 व0ग0 श्री कैलाशचन्द अग्रवाल के नाम ,डी–18 क्षेत्रफल 444.44 व0ग0 श्रीमती नीरू अग्रवाल निवासी 3 सी 23 भूतल मालवीय नगर जयपुर के नाम, डी–28, क्षेत्रफल 444.44 व0ग0 श्री मनोज अग्रवाल निवासी 3 सी 23 भूतल मालवीय नगर जयपुर के नाम,डी–29, क्षेत्रफल 533.33 व0ग0 श्रीमती चन्द्रप्रभा देवी के नाम थे।

कैलाश चन्द अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 21.04.2011 को तथा श्रीमती चन्द्रप्रभा देवी की मृत्यु दिनांक 08.06.2011 को हो गयी।सन् 1999 के पश्चात वगैर रजिस्टर्ड डीड के ऐसी अचल सम्पति का अन्तरण जिसका आवासीय के लिये उपयोग हो रहा हो वगैर रजिस्टर्ड

4

डीड के नहीं हो सकता है तथा उस स्कीम की 90 बी होकर भू–रूपान्तरण दिनांक 27.10. 2007 को हो चुका है।

दिनांक 26.12.2012 को श्री मनोज अग्रवाल व श्रीमती नीरू अग्रवाल ने सोसायटी के पदाधिकारियों व जेडीए जयपुर के पदाधिकारियों से मिलीभगत कर खुद व खरीददारो को लाभ पहुँचाने के आशय से बगैर रजिस्टर्ड डीड के उक्त प्लोटो का अन्तरण कर दिया जिसमे जेडीए के पदाधिकारियों ने भ्रष्ट व अवैध तरीके से अवैध पारितोषिक प्राप्त कर इन लोगो का सहयोग कर राज्य सरकार को लगभग 20 लाख की स्टॉम्प डयूटी के रूप में प्राप्त होने योग्य राजस्व की क्षति कारित की है।

सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा प्लाट संख्या डी–17,डी–18,डी–28,डी–29 को प्लाट को प्लाट संख्या ए–23,से ए–29 व ए–42 से ए–49 करके अन्तरित किया है।जेडीए द्वारा दिनांक 11.06.2015 को दी गयी सूचना के अनुसार उक्त प्लाट का अन्तरण ज्ञात होता है। इस सूची के अवलोकन से स्पष्ठ है कि इस अन्तरण में जेडीए के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग सरकार को हानि पहुँचाते हुए व खुद को भ्रष्ट व अवैध तरीके से कार्य करते हुये लाभ पहुँचाने हेतु नियमो व विधि की अवहेलना कर आपराधिक अवचार का अपराध कारित किया है।

अतःश्रीमान जी से निवेदन है कि जेडीए जयपुर के भ्रष्ट अधिकारियो सोसायटी के पदाधिकारियो व प्लाटो को अवैध रूप से खरीदने व बेचने वाले लाभार्थियो के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(डी),13(2) पीसीएक्ट व 120 बी भादस में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही करने की कृपा करे। उक्त शिकायत पर ब्यूरो द्वारा परिवाद संख्या 3/2017 दर्ज कर जॉच श्री नीरज गुरूनानी उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर प्रथम जयपुर द्वारा शुरू की गयी तथा श्री नीरज गुरूनानी द्वारा की गयी जॉच का सत्यापन मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया।

दौराने जॉच बयान श्री हरिशंकर शर्मा अमीन जोन–14 जेडीए जयपुर,परिवादी श्रीमती मधु अग्रवाल व श्री रामप्रसाद मीणा वरिष्ठ सहायक जोन संख्सा 14 जेडीए जयपुर,उपायुक्त जोन–14 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 1434 दिनांक 28.02.2017 से प्राप्त सूचना/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ, उपायुक्त जोन–14 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 1534 दिनांक 24.11.2020 से प्राप्त सूचना/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ,उप पंजीयक सांगोनर प्रथम जयपुर के ईमेल पत्रांक 913 दिनांक 12.06.2018 से डीएलसी की सूचना,उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियॉ जयपुर शहर के पत्रांक 840 दिनांक 11.11.2019 से प्राप्त सूचना,क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी सहकारी समितियॉ जयपुर खण्ड जयपुर के पत्रांक 1007 दिनांक 25.06.2019 से प्राप्त सूचना/रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियॉ शामिल जॉच कर जॉच की गयी।

उक्त परिवाद में उपलब्ध साक्ष्य रिकॉर्ड के अवलोकन से पाया गया कि कि तत्समय सर्वप्रथम किसी जमीन की 90बी करनी होती है तो खातेदार तथा गृह निर्माण सहकारी समिति के आपस के इकरारनामे के पश्चात जे.डी.ए. में जमीन का भू उपयोग परिर्वतन कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ किया जाता है।

खातेदार अपनी भूमि को किसी गृह निर्माण सहकारी समिति के लिए स्थानान्तरित करता है तो उसके द्वारा सोसायटी के नाम अनुबन्ध किया जाता है, अनुबन्ध को भूमि स्वामी या सोसायटी द्वारा प्रचलित समय के अनुसार पंजीकृत करवाया/नहीं करवाया जाता था। अनुबन्ध की गई भूमि पर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा प्लोटिंग की जाती है। अगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा 90बी से पूर्व ही योजना सृजित की हो तो आवंटी/सदस्यों की सूची तैयार कर सूची मय मानचित्र सम्बन्धित जोन तथा सहकारिता प्रकोष्ठ में पेश की जाती थी और अगर योजना सृजित नहीं है तो भू–उपयोग परिर्वतन हेतु सदस्यों की सूची जेडीए में पेश नहीं की जाती है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का भू–उपयोग परिर्वतन हेतु दस्तावेजों की जांच तथा भूमि निरीक्षण किया जाकर जेडीए के संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमानुसार भूमि की 90बी की जाती है। नियमन कार्यवाही के दौरान गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सदस्य सूची तथा मानचित्र प्रस्तुत किया जाता है। नियमन से पूर्व अगर गृह निर्माण सहकारी समिति योजना में भू–खण्डों का खरीद बेचान तथा हस्तातंरण करती है तो वह अपने स्तर पर करती है, लेकिन नियमन के दौरान गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत सूची तथा नियमन के दौरान पुनः सूची जेडीए द्वारा प्राप्त की जाकर जेडीए द्वारा उक्त सूची को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाकर आपत्ति प्राप्त की जाती है।

अगर पूर्व के सदस्यों की सूची तथा नियमन के दौरान प्रस्तुत सूची में कोई परिर्वतन होता है, तो मूल पटटा, साईट प्लान तथा हस्तांन्तरण शुल्क प्राप्त किया जाकर सदस्य/आवंटी के नाम पटटा जारी किया जाता है। योजना के नियमन से पूर्व भू–खण्डों के नाम अन्तरण का कार्य जेडीए का नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त गृह निर्माण

सहकारी समिति द्वारा आवंटित भू–खण्डो का नियमन करने से पूर्व सहकारिता विभाग से सदस्यों की सूची का प्रमाणीकरण किया जाता है तथा मौके पर भूमि सम्बन्धित दस्तावेजों की जांच करवाई जाती है।

जांच के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाने पर नियमन कार्यवाही नहीं की जाकर सम्बन्धित तहसीलदार/जोन तहसीलदार/गृह निर्माण सहकारी समिति को त्रुटि से अवगत करवाया जाता है तत्पश्चात किसी भी सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा त्रुटि की पूर्ति किये जाने के पश्चात नियमन कार्यवाही की जाती है। नियमन के दौरान सोसायटी द्वारा आवंटित भू–खण्ड के आवंटी द्वारा भू–खण्ड को नियमन से पूर्व विक्रय/स्थानान्तण करता है तो सम्बन्धित भू–खण्ड क्रेता द्वारा भू–खण्ड को अपने नाम करवाने हेतु सम्बन्धित दस्तावेज जे.डी.ए. की सम्बन्धित जोन मे पेश करता है जहां से उक्त भू–खण्ड की पत्रावली सहकारिता प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाती है। चैन डॉक्यूमेंट मिलान होने पर सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा दस्तावेज की पृष्टि की जाकर नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

जॉच से पाया गया कि पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड रजिस्ट्रेशन नम्बर 2965/एल की आवासीय योजना इन्द्रप्रस्थ विहार–ए ग्राम मानपुरा उर्फ नांगल्या तहसील सांगानेर ग्राम बरखेडा तहसील चाकसू में सर्जित की गयी थी।

भूखण्ड संख्या डी–17, क्षेत्रफल 533.30 व0ग0 पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा इन्द्रप्रस्थ योजना में श्री मुकेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा को दिनांक 18.04.1997 को आवंटित किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण श्री मुकेश चन्द्र शर्मा के स्थान पर श्री कैलाश चन्द अग्रवाल पुत्र श्री शीलचन्द अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर के नाम दिनांक 15.07.2007 को हुआ। तत्पश्चात श्री कैलाश की मृत्यु दिनांक 21.04.2011 को होने पर पुत्र मनोज द्वारा दिनांक 26.12.2012 को उक्त भूखण्ड समिति को सरेण्डर कर दिया गया।

भूखण्ड सं0 डी–18 क्षेत्रफल 444.44 व0ग0 का आवंटन दिनांक 18.04.1997 को श्री रामवतार शर्मा पुत्र श्री रामजस शर्मा को किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर के नाम दिनांक 15.07.2007 को हुँआ। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड दिनांक 26.12.2012 को समिति को सरेण्डर कर दिया गया।

भूखण्ड स0 डी–28, क्षेत्रफल 444.44 व0ग0 का मूल आवंटन पत्र दिनांक 18.04.1997 को प्रहलाद शर्मा पुत्र श्री रामजस शर्मा को किया गया। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण श्रीमति नीरू अग्रवाल पत्नि श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर के नाम दिनांक 15.07.2007 को हुआ। तत्पश्चात नीरू अग्रवाल ने दिनांक 26.12.2012 को उक्त भूखण्ड समिति को सरेण्डर कर दिया गया।

भूखण्ड संख्या डी–29, क्षेत्रफल 533.33 व0ग0 का मूल आवंटन पत्र दिनांक 18.04.1997 को श्री कन्हैयालाल शर्मा पुत्र श्री रामजस शर्मा को हुआ। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का हस्तानान्तरण श्रीमति चन्द्रप्रभा पत्नि श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर के नाम दिनांक 15.07.2007 को हुआ। तत्पश्चात दिनांक 08.06.2011 को चन्द्रप्रभा की मृत्यु होने पर चन्द्र प्रभा के पुत्र मनोज ने उक्त भूखण्ड को दिनांक 26.12.2012 को समिति को सरेण्डर कर दिया गया।

उपरोक्त भूखण्डो को पटेलनगर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर को समर्पित किये जाने के पूर्व की सदस्यता सूची जयपुर विकास प्राधिकरण जोन–14 की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

उक्त योजना के नियमन हेतु सूची दिनांक 23.08.2004 को प्रस्तुत की जाने उक्त सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना में उपायुक्त जोन–14 जेडीए की नोटशीट के पैरा 8 दिनांक 09.09.2004 को सम्बन्धित योजना के इकरारनामे राजस्व जमाबंदियों मिलान क्षेत्रफल एवं खसरा नक्शो की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त होने पर रिपोर्ट की जा सकती है। नोटशीट के पैरा 15 दिनांक 10.08.2007 को उक्त आवासीय योजना इन्द्रप्रस्थ विहार ए की भूमि ग्राम मानपुरा उर्फ नांगल्या तहसील सांगानेर व ग्राम बरखेडा तहसील चाकसू में स्थापित है। सहकारी समिति की आवासीय योजना में गिट्टी रोड व बाउण्ड्रीवाल व अन्य निर्माण किये हुये है।

उक्त सहकारी समिति द्वारा इन्द्रप्रस्थ विहार ए जो कि ग्राम बरखेडा तहसील चाकसू के खसरा नम्बर 1877/2000,1883 से1896,1930 से 1946, एवं 1949 किता 33 कुल रकबा 14.64 हेक्टेयर भूमि व खसरा नम्बर 1790 से 1792,1795,1876/2031,1895/2030,1897 से 1909,1918 से 1922 किता 24 कुल रकबा 5.86 हेक्टेयर() 14.64 एवं 5.86 कुल 20.50 हेक्टेयर पर सर्जित थी।

नोटशीट के पैरा 24 दिनांक 16.10.2007 में सहकारी समिति की आवासीय योजना का नियमन करने हेतु 90बी (1)की कार्यवाही नियमानुसार की जानी है के कम मे खातेदारो

4

को दिये जाने वाले नोटिस व दैनिक समाचार पत्रो में प्रकाशन कराये जाने का पत्र जारी करने का उल्लेख है। उक्त अनुमोदन तत्कालीन आयुक्त जोन–11 जेडीए जयपुर द्वारा किया गया।

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (कृ.भू.रू.)एवं उपायुक्त जोन–11 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 126/2007/रा.भू.स./90 ख (1) सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर बनाम गोपाल पुत्र काना,जगदीश पुत्र लक्ष्मीनारायण,बरजी देवी पत्नि हरिनारायण,भगवति पत्नि बाबुलाल,लक्ष्मी देवी पत्नि लक्ष्मीनाराण ,मंगली देवी पत्नि मोहन,रामश्री पत्नि सियाराम,रामेश्वर,रामचरण,रामशरण पुत्र श्री गोपी ,बद्रीनारायण बैरवा प्रतिनिधि गौरव प्रा.लि.कृष्णापुरी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. ,भौरीलाल महादेव कल्याण रामनाथ रणजीत पुत्र विरण काना नानगा हेमा गोपीचंद हरनारायण पिता मगना जाति मीणा सा.देह गोपीरामपुरा में निर्णय दिनांक 27.10.2007 पारित कर उक्त के नाम की भूमि उनके उत्तरजीवी एवं पश्चातवर्ती हस्तांतरिती के खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान कर इसे राज्य हित में पुर्नग्रहित किया जाता है।भूमि के राज्य हित में पुर्नग्रहित होने के परिणाम स्वरूप जयपुर विकास प्राधिकरण का अधिकार स्वामित्व प्रोदभूत होता है। इस भूमि का नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित करने हेतु निर्णय की एक प्रति सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जाने का आदेश जारी किया गया।

नोटशीट के पैरा 49 दिनांक 27.03.2008 में अंकित है कि संलग्न प्रार्थना पत्र पृष्ठ संख्या 292 अनुसार पत्रावली में उपलब्ध सदस्यता सूची कि फोटो प्रति संलग्न है को अवलोकनार्थ व हस्ताक्षार्थ प्रस्तुत है। पैरा 50 तत्कालीन टीडीआर से अनुमादित है। पैरा 51 पर अंकित है कि सदस्यता सूची समिति द्वारा दिनांक 1.03.2008 को प्रस्तुत है एवं उसकी प्रति भी समिति द्वारा चाही जा रही है जो कि जो कि उसके पास उपलब्ध है।योजना में की गई 90 बी की कार्यवाही हेतु भी राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया। सदस्यता की प्रति दी जाना उचित नहीं है। दिनांक 13.08.2008 को नियमन की कार्यवाही हेतु पत्रावली मौका रिपोर्ट से प्रस्तुत करने का उल्लेख है।

नोटशीट के पैरा 57 दिनांक पर पटेल नगर गृ.नि.स.स.लि.की योजना इन्द्रप्रस्थ विहार ए में प्रयुक्त ग्राम बरखेडा के खसरा नम्बर पर 90 बी की कार्यवाही होकर नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार शासन उप सचिव प्रथम के पत्र कमांक दिनांक 09.10.2007 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार शासन उप सचिव द्वितीय के पत्रांक प. 6(40)नविवि/3105 दिनांक 22.02.2008 से ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हेतु 8 ग्रामो को चिन्हित भूमि को भविष्य की आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया।उपरोक्त भूमि पर रूपान्तरण हेतु आवेदनो पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।ग्रीन फील्ड परियोजना के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना है। उसी के अनुरूप आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। उक्त पैरा उपायुक्त जोन–14 अवधेश सिंह से अनुमोदित है।

उपायुक्त जोन–14 जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार 40पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. सी–18 गायत्री नगर विस्तार महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर द्वारा पत्रांक 18/2010 दिनांक 18.06.2010 से आयुक्त जोन–14 जेडीए जयपुर को नियमन शिविर लगाने का प्रार्थना पत्र जारी कर अंकित किया गया कि सहकारी समिति की योजना इन्द्रप्रस्थ विहार स्थित टोक रोड की पत्रावली सन् 2002 में जेडीए में जमा करवा दी गयी थी। जिसकी 90 बी की कार्यवाही हो चुकी है। समिति के सदस्य निरन्तर नियमन शिविर लगाने का दबाव डाल रहे है। उक्त योजना का नियमन शिविर आयोजित करने की कृपा करे।

नोटशीट के पैरा 57 दिनांक 02.07.2013 में पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की ग्राम बरखेडा टोक रोड शिवदासपुरा तहसील चाकसू स्थित आवासीय योजना इन्द्रप्रस्थ विहार ए के भूखण्डो के नियमन के सम्बन्ध मे शुरू की जाकर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हेतु 8 ग्रामो के कारण भूमि पर रूपान्तरण हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।उक्त पैरा तत्कालीन उपायुक्त जोन–14 से अनुमोदित है। नोटशीट के पैरा 61 दिनांक 02.09.2013 को प्रशासन शहरो के संग अभियान के तहत प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जाने का निर्णय लिया गया।

नोटशीट के पैरा 1 से 70 तक नोटशीट कमवार है लेकिन नई नोटशीट की कूटरचना कर पैरा 1 से शुरू किया गया तथा नीचे पैरा अलग अंकित किये गये।उक्त नोटशीट पैरा 1/71 दिनांक 16.09.2013 से 21/89 दिनांक 28.09.2013 व इसके पश्चात नई नोटशीट कूटरचित की जाकर पैरा 72/90 दिनांक 03.03.2014 से पैरा 77/97 दिनांक 17.05.2014 तक दौहरा अंकन है।इसके पश्चात नई कूटरचित नोटशीट पैरा 1/98 दिनांक 22.03.2014 से 06/102 दिनांक 04.04.2014 व पैरा 103 से 109 तक संधारित है। इसके

पश्चात पैरा 01 दिनांक 06.07.2016 से पैरा 4 दिनांक 06.07.2016 तक संधारित की गयी। नोटशीट के पैरा 01 दिनांक 29.12.2016 से पैरा 17 दिनांक 03.01.2017 तक संधारित की गयी।

नोटशीट के पैरा 1/71 दिनांक 16.09.2013 को 90 ए व जेडीए पट्टा आवंटन हेतु आवेदन नोटशीट शुरू की गयी। उक्त पैरा मे अंकित किया गया कि संयोजक पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति लि.द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ अनुबंध पत्र ,90 बी के निर्णय की छायाप्रति व योजना मानचित्र तथा सदस्यों की सूची आदि प्रस्तुत की है।समिति द्वारा जविप्रा से योजना के पट्टो की कार्यवाही चाही है। चाही गयी कार्यवाही से पूर्व योजना के सदस्यों को सूची के सम्बन्ध में अनापत्ति /सुझाव हेतु पत्रावली सहकारिता प्रकोष्ठ जविप्रा को भिजवाया जाना प्रस्तावित किया गया। उक्त पैरा में यह अंकन नहीं किया गया कि कहॉ की योजना है।

नोटशीट के पैरा 7/73 दिनांक 18.09.2013 में पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति योजना इन्द्रप्रस्थ विहार ए का रिकॉर्ड सदस्यों की सूची प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करने बाबत रिपोर्ट करने,पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना इन्द्रप्रस्थ ए का रिकॉर्ड समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं करने का उल्लेख है।

नोटशीट के पैरा 10/78 दिनांक 23.09.2013 में पत्रावली पर चर्चा की गयी। चर्चानुसार पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो अनुसार सम्पूर्ण योजना की 90 बी कार्यवाही हो चुकी है जिस भाग की 90 बी कार्यवाही हो चुकी है केवल उसी भाग के भूखण्डो की सूची का प्रकाशन करवाया जाना उचित रहेगा। 90 बी क्षेत्र मे सृर्जित भूखण्डो की जानकारी/सूची जोन में प्राप्त करने वास्ते पत्रावली जोन–14 में भिजवाना अंकित है।

नोटशीट के पैरा 13/81 दिनांक 25.09.2013 में इन्द्रप्रस्थ विहार ए विकास समिति द्वारा पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत सूची पत्रावली के पृष्ठ संख्या 35/सी से 43/सी पर संलग्न है।पैरा 10/एन के क्रम पत्रावली सहकारिता प्रकोष्ठ जविप्रा जयपुर को भेजा जाना प्रस्तावित है।

नोटशीट के पूर्व पैरा मे जेडीए पत्रावली मे सूची प्राप्त होने का उल्लेख है लेकिन उक्त सूची कहॉ से आयी ।उक्त सूची सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा जेडीए के अधिकारियों से मिलकर नयी तैयार की गयी सूची को प्रस्तुत किया गया।

नोटशीट के पैरा 15/83 दिनांक 28.09.2013 में पैरा 10/एन,11/एन,के क्रम में कृपया पैरा 13/एन पर जोन द्वारा अंकित रिपोर्ट टिप्पणी तथा पत्रावली पृष्ठ संख्या 35/सी से 43/सी पर संलग्न सूची मे कुल 828 भूखण्ड अंकित है।जिसके क्रम में पैरा 10/एन अनुसार पैरा 13/एन के द्वारा जोन कार्यालय मे प्राप्त सूची जिसमे भूखण्डो की कुल संख्या 439 अंकित है को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन का अंकन किया जाकर करवाया गया।

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 में समापक/सोसायटी को पट्टा एक बार जारी होने पर हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर व श्रीमति नीरू अग्रवाल पत्नि श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर द्वारा आपसी मिलीभगत कर पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के पदाधिकारियो से मिलीभगत कर भूखण्ड संख्या 17 व 29 का आवटन पत्र अपने माता–पिता/सास शसुर के नाम व भूखण्ड संख्या 18 व 28 अपने नाम बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के करवाया जाकर राज्य सरकार को करोडो रूपयों की हानि पहुचायी गयी।

जविप्रा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सदस्यता सूची में उक्त चारो भू खण्डो को भूखण्ड संख्या ए–23 से ए–29 व ए–43 से ए–49 के रूप में उपविभाजन किया जाना पाया गया। उक्त भू खण्डो को विभाजन के बाद ज0वि0प्रा0 जयपुर द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012–13 में कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता) ज0वि0प्रा0 जयपुर के पत्रांक 2228 दिनांक 28.09.2013 को इन्द्रप्रस्थ योजना की सदस्यता सूची के अवलोकन से उक्त विभाजित भू खण्डो के आवंटियों में समिति द्वारा किये गये विभाजन के आवंटियों के नाम सूची में सहकारी समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची के अनुसार नहीं पाये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि समिति द्वारा प्रथम सदस्यता सूची जिसमें उपरोक्त चार आवंटित भूखण्ड से संबंधित सूची को बदला जाकर उसे बाद समिति द्वारा नई सदस्यता सूची परिवर्तित कर जविप्रा में प्रस्तुत प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2012–13 कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता) ज0वि0प्रा0 जयपुर के पत्रांक 2228 दिनांक 28.09.2013 की सूची में सदस्यता सूची को तथा इस सूची के पश्चात समिति के पत्र दिनांक 13.03.15 की सूची जविप्रा जॉन–14 को प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है।

रिकार्ड के अनुसार पत्रावली के पेरा सं0 51/एन दिनांक 27.03.2008 के अनुसार समिति द्वारा सदस्यता सूची दिनांक 01.03.2008 को प्रस्तुत की है तथा पेरा नं0 61/एन दिनांक 02.09.2013 के अनुसार सोसायटी द्वारा पुनः सूची प्रस्तुत की गई है, पेरा नं0

71/एन दिनांक 16.09.2013 के अनुसार 90ए व जेडीए पटटा आवंटन हेतु सूची प्रस्तुत की है। पैरा सं0 73/एन दिनांक 18.09.2013 के अनुसार प्रकोष्ठ में समिति का रिकार्ड सदस्यता सूची होने के सम्बंध में रिमार्क मांगा जिस पर अंकित है कि "पेश नहीं किया गया" है। पैरा सं0 78/एन दिनांक 23.09.2013 के अनुसार समिति की सम्पूर्ण सूची उपलब्ध होना बताया है तथा सूची केवल जिसकी 90 बी करनी है के प्रकाशन के बारे में अंकित है जबकि सम्पूर्ण सूची पत्रावली में मात्र 439 सदस्यों की ही उपलब्ध हैं जबकि पेरा सं0 81 एन दिनांक 25.09.2013 में पत्रावली के 35/सी से 43सी तक ज0वि0प्रा0 ने पत्रावली में सूची उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुये पत्रावली सहकारिता प्रकोष्ठ में भेजा जाना बताया है। पेरा सं0 83/एन में पत्रावली में उपलब्ध सूची में 828 सूची होने का उललेख है। जिनमें से 439 का प्रकाशन करने का उल्लेख है। उक्त पैरा कमांकों के द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैरा नं0 70 एन दिनांक 19.02.2014 में लिखा गया है जबकि पेरा सं0 71 एन दिनांक 16.09.2013 में लिखा गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त अवधि की तिथियों में ज0वि0प्रा0 एव सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा भूखण्डों की सदस्ता सूची में हेर फेर किया गया है।

उप रजिस्ट्रार सहकारिता के सूचना पत्रांक 2228 दिनांक 28.09.2013 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि "समिति की सदस्यता सूची सहकारिता प्रकोष्ठ में प्रस्तुत नहीं हुई है, सदस्यता सूची कार्यालय उपायुक्त जोन–14 ज0वि0प्रा0 में पेश की गई है जो प्रमाणिकरण हेतु सहकारिता प्रकोष्ठ को प्राप्त हुई जो 439 सदस्यों की है। समिति द्वारा ज0वि0प्रा0 को प्रेषित पत्र दिनांक 25.07.2014 के अनुसार उल्लेख किया गया है कि" उक्त योजना में रिहायशी मकानात आदि सैकडों सदस्यों ने बना रखे है तथा यह योजना 1999 से पूर्व की विकसित है" अंकित किया गया है। उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन पर पाया गया है कि समिति से सम्बधित ज0वि0प्रा0 की मूल पत्रावली में कार्यवाही नोटशीट के पैरा तिथि कमवार नहीं है ना ही पैरा कमांक पर अंकित टिप्पणी का कार्यवाही से मिलान हो रहा है इससे यह भी प्रतीत होता है कि नोटशीट को समय समय पर समिति की आवश्यकतानुसार संलग्न कर सदस्यता सूची को परिवर्तित किया गया है। नोटशीट में अंकितनुसार गृह निर्माण सह0समिति द्वारा दिनांक 01.03.2008 को प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध सदस्यता सूची ज0वि0प्रा0 जयपुर द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। समिति के सम्बधित पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन के दौरान चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। समिति द्वारा अन्य प्रकरण में थानाधिकारी शिवदासपुरा को दिनांक 13.03.2015 में दी गई सूचना के अनुसार प्लाट नं0 डी– 17, 18, 28, 29 एवं ए– 23 से ए–29 एवं ए– 43 से ए–49 जिन वर्षों एवं जिनके नाम का होना उल्लेखित किया है उनके नाम ज0वि0प्रा0 की सूची में कही भी अंकित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि ज0वि0प्रा0 व समिति के पदाधिकारियों ने पद का दुरूपयोग कर आपस में मिलीभगत कर योजना के बिना रजिस्टर्ड डीड के भूखण्डों का अन्तरण/हस्तानान्तरण/उप विभाजन कर राज्य सरकार को पंजीएन शुल्क के रूप में मिलने वाले राजस्व की हानि पहुंचाते हुये स्वयं तथा भूखण्डों के केता/विकेताओं ने अनुचित लाभ प्राप्त किया है।

जविप्रा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सदस्यता सूची में उक्त चारो भू खण्डो को भू खण्ड संख्या ए–23 से ए–29 व ए–43 से ए–49 के रूप में उपविभाजन किया जाना पाया गया। उक्त भू खण्डो को विभाजन के बाद ज0वि0प्रा0 जयपुर द्वारा प्रशासन शहरो के संग अभियान 2012–13 में कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता) ज0वि0प्रा0 जयपुर के पत्रांक 2228 दिनांक 28.09.2013 को इन्द्रप्रस्थ योजना की सदस्यता सूची के अवलोकन से उक्त विभाजित भू खण्डो के आवंटियों में समिति द्वारा किये गये विभाजन के आवंटियों के नाम सूची में सहकारी समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची के अनुसार नहीं पाये गये। इससे यह प्रतीत होता है कि समिति द्वारा प्रथम सदस्यता सूची जिसमें उपरोक्त चार आवंटित भूखण्ड से संबंधित सूची को बदला जाकर उसे बाद समिति द्वारा नई सदस्यता सूची परिवर्तित कर जविप्रा में प्रस्तुत प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2012–13 कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता) ज0वि0प्रा0 जयपुर के पत्रांक 2228 दिनांक 28.09.2013 की सूची में सदस्यता सूची को तथा इस सूची के पश्चात समिति के पत्र दिनांक 13.03.15 की सूची जविप्रा जॉन–14 को प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है।

जेडीए से प्राप्त पत्रावली की छायाप्रति की नोटशीट के पैरा सं0 83/एन दिनांक 28. 09.2013 में मूल सदस्यता सूची में 828 नाम होना तथा नोटशीट के पैरा नं0 51/एन दिनांक 27.03.2008 में समिति द्वारा सदस्यता सूची दिनांक 01.03.2008 को प्रस्तुत किया जाना अंकित किया गया है। जबकि नई सूची जो जेडीए के अधिकारी/कर्मचारियों की सहमति से दिनांक 01.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। जो समिति द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें 439 नाम हैं। जिनमें परिवादिया द्वारा उपलब्ध कराये गये पट्टाधारकों के कहीं भी नाम नहीं है। इससे यह प्रमाणित है कि जेडीए के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा

मूल सुची को गायब कर अंतिम रुप से समिति द्वारा प्रस्तुत सुची को अपनी सहमति से समाचार पत्रों में छपवाने का अविधिक कृत्य किया है जबकि उप रजिस्ट्रार (सहकारिता) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्रांक डी–51 दिनांक 23.01.2020 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है, कि पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर की योजना इन्द्रप्रस्थ विहार का रिकॉर्ड समिति द्वारा सहकारिता प्रकोष्ठ, जविप्रा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। तत्कालीन समय सितम्बर 2013 में जेडीए के जोन सं0 14 में श्री अवधेश सिंह तत्कालीन उपायुक्त जोन सं0 14 एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण पदस्थापित थे।

भू–खण्डों का अन्तरण/हस्तान्तरण/उप विभाजन कर नई सदस्यता सूची जविप्रा में प्रस्तुत की गई है। प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार जेडीए द्वारा इन्द्रप्रस्थ विहार योजना का नियमन वर्तमान तक नहीं हुआ है। संशोधित सूची के आधार पर किन व्यक्तियों को नियम विरुद्व पटटे जारी किये गये हैं जो मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर विस्तृत तथ्य अनुसंधान से स्पष्ट होगे।

राजस्व हानि कारित कर नई सूची के सदस्यों (प्लाटधारकों), समिति के पदाधिकारीगण, जेडीए के अधिकारी/कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हुआ है। पुरानी मूल सूची का गायब होना एंव समाचार पत्रों में नई सूची प्रकाशित होने के कृत्य के दौरान जेडीए में श्री अवधेश सिंह तत्कालीन उपायुक्त जोन सं0 14 एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण तथा पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर कार्यालय सी–18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर के अध्यक्ष पद पर श्री राकेश कटारिया/तत्समय के मंत्री/सचिव व अन्य पदाधिकारी थे। जिनको मूल सूची 828 सदस्यों की होना ज्ञात होते हुये भी उससे भिन्न 439 सदस्यों की नई सूची का प्रकाशन करवाया। जेडीए/ पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जाकर अस्पष्ट रुप से जवाब दिये गये हैं। सयुंक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता) जेडीए ने भी अपने पत्रांक 1824 दिनांक 11.06.2015 में दिनांक 26.12.2012 से पूर्व व पश्चात की पृथक से सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है तथा जेडीए से प्राप्त पत्रावली की छायाप्रति में कहीं भी 828 की सदस्यों की मूल सूची सलंग्न नहीं है। यह प्रमाणित है, कि भूमि का अन्तरण/उप विभाजन कर भूमि के स्टाम्प डयूटी की राजस्व हानि कर पद एवं अधिकारो का दुरुपयोग किया गया है।

जेडीए से प्राप्त पत्रावली में समिति द्वारा बाद में प्रस्तुत की गई सूची के अवलोकन से पाया गया है कि परिवादिया द्वारा उल्लेखित भूखण्ड धारियों के नाम उक्त सूची में नहीं है। पटेलनगर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर के पदाधिकारी, इस संबंध में लाभ प्राप्त किये हुये संबंधित प्लॉटधारक व ज0वि0प्रा0जयपुर के श्री अवधेश सिंह आरएएस व तत्कालीन अधिकारी कर्मचारीगणों ने आपस में मिलि–भगत कर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर लाभ प्राप्त करने हेतु भूखण्डों का अन्तरण/हस्तान्तरण/उप विभाजन किया जाना प्रमाणित पाया गया है। जबकि वर्ष 1999 के पश्चात ऐसा किये जाने का प्रावधान नहीं है। बिना रजिस्टर्ड डीड के अन्तरण/हस्तान्तरण/उप विभाजन कर संशोधित सदस्यता सूची प्रस्तुत किया जाना सम्पति अन्तरण अधिनियम (टी0पी0 एक्ट) 1882 की धारा 54 का उल्लघंन राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की राजस्व हानि कारित की गई है।

पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर कार्यालय सी–18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर को अपने पत्रांक दिनांक 13.03.2015 में एक तरफ तो दिनांक 26.12.2012 को भूखण्ड समिति में सरैण्डर कर तत्पश्चात चारों प्लॉट भूखण्ड सं0 डी–17, डी–18, डी–28 व डी–29 का उप विभाजन कर ए–23 से ए–29 तथा ए–43 से ए–49 रिंकु रावत/प्रदीप गुप्ता/रामनिवास बैरवा को आवंटित किया जाना बताया है। वहीं दूसरी और रिजनल ऑडिट आफीसर, कार्यालय मिनी सचिवालय, जयपुर से पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर की योजना इन्द्रप्रस्थ विहार, राधास्वामी सतसंग के पीछे, टोंक रोड़, बीलवा, जयपुर की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मय योजना के सदस्यता सूची के प्राप्त की गई तो लेखा परिक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट अवधि दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2008) (वर्ष 2006–07 से 2007–08) की सदस्यता सूची में उपरोक्त प्लॉटो का रिंकु रावत/प्रदीप गुप्ता/रामनिवास बैरवा के नाम होना अंकित किया हुआ है। अर्थात पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर ने हेर–फेर कर कूटरचित सूची जेडीए प्रस्तुत की गयी है।

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 64 में समापक/सोसायटी को पट्टा हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है।इसके बावजूद भी मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर व श्रीमति नीरू अग्रवाल पत्नि श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर द्वारा आपसी मिलीभगत कर भूखण्ड संख्या 17 व 29 का आवटन पत्र अपने माता–पिता/सास शसुर के नाम व भूखण्ड संख्या 18 व 28 अपने नाम बिना रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के करवाया जाकर

राज्य सरकार को करोडो रूपयों की हानि पहुचायी गयी। श्री मनोज कुमार व श्रीमती नीरू अग्रवाल द्वारा उक्त भूखण्डो की रजिस्ट्री नहीं करवाकर उक्त भूखण्डो को गृह निर्माण सहकारी समिति का सरेण्डर करना ही राजकोष में नुकसान पहुॅचाने का कृत्य किया है। पटेल गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा उक्त योजना के मानचित्र में ही बदलाव कर जेडीए के अधिकारियों से मिलकर अन्य मानचित्र प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त मानचित्र में भूखण्ड सं0 डी–17, डी–18, डी–28 व डी–29 का उप विभाजन बिना किसी वैध अधिकार व निर्धारित प्रकिया व स्वीकृति के बिना कर ए–23 से ए–29 तथा ए–43 से ए–49 रिंकु रावत/प्रदीप गुप्ता/रामनिवास बैरवा को नियम विरूद्व पुनः आवटन किये गये जिससे राज्य सरकार को दौहरी हानि होना प्रमाणित पाया गया। जेडीए से प्राप्त रिकॉर्ड मे उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना का मानचित्र उपलब्ध कराया है जिसमे भूखण्ड संख्या बी 17,18,28 व 29 दर्शित है। एक बार सूची व मानचित्र जेडीए में नियमन हेतु प्रस्तुत किये जाने के पश्चात गृह निर्माण सहकारी समिति के समस्त अधिकारी योजना मे संशोधन के समाप्त हो जाते है।

जॉच में प्रश्नगत भूखण्डो का क्षेत्रफल 533.30+444.44+444-44+533.30=1955.51 वर्ग गज भूमि वर्ष 2012–2013 की अवधि में एक बार सोसायटी द्वारा हस्तान्तरण किया जाने पर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में 2060100/–रूपये की राजस्व हानि होना पाया गया एवं दूसरी बार इतनी ही राशि की हानि तब होना पायी गयी जब मनोज व नीरू अग्रवाल ने बिना पंजीयन पंजीकृत कराये बिना सोयायटी को नियम विरूद्ध सरेण्डर कर मोटा मुनाफा कमकार उक्त भूखण्डो का पटेल नगर गृ.नि.स.समिति के मानचित्र व सूची में हरेफर किया गया।इस प्रकार करीब 4000000/–रूपये से अधिक की राजस्व हानि होना पायी गयी। विस्तृत आंकलन अनुसंधान से स्पष्ट होगा। पूर्व के सत्यापन अधिकारी श्री नीरज गुरूनानी की पत्रांक 1658 दिनांक 26.12.2017 से प्रेषित सत्यापन रिपोर्ट सही पायी है जिसमें अपराध कारित किया जाना उल्लेखित है।

परिवाद की जॉच एवं उपलब्ध साक्ष्य रिकॉर्ड एवं जेडीए से प्राप्त पत्रावली की छायाप्रति के अनुसार पाया गया कि जेडीए नोटशीट के पैरा सं0 83/एन दिनांक 28.09.2013 में मूल सदस्यता सूची में 828 नाम होना तथा नोटशीट के पैरा नं0 51/एन दिनांक 27.03.2008 में समिति द्वारा सदस्यता सूची दिनांक 01.03.2008 को प्रस्तुत किया जाना अंकित किया गया है। श्री अवधेश सिंह तत्कालीप उपायुक्त जोन–14 जेडीए जयपुर ने कार्यकाल के दौरान गृह निर्माण सहकारी समिति के पदाधिकारियो से आपकी मिलीभगत कर पुरानी सूची के स्थान पर नई सूची जो जेडीए के अधिकारी/कर्मचारियों की सहमति से दिनांक 01.10.2013 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। जो समिति द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें 439 नाम हैं। जिनमें परिवादिया द्वारा उपलब्ध कराये गये पट्टाधारकों के कहीं भी नाम नहीं है। इससे यह प्रमाणित है, कि जेडीए के जोन–14 के अधिकारी श्री अवधेश सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मूल सूची को गायब कर अंतिम रुप से समिति द्वारा प्रस्तुत सुची को अपनी सहमति से समाचार पत्रों में छपवाने का अविधिक कृत्य किया है। जबकि उप रजिस्ट्रार (सहकारिता) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने अपने पत्रांक डी–51 दिनांक 23.01.2020 में स्पष्ट रुप से अंकित किया है, कि पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर की योजना इन्द्रप्रस्थ विहार का रिकॉर्ड समिति द्वारा सहकारिता प्रकोष्ठ, जविप्रा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

श्री अवधेश सिंह तत्कालीन उपायुक्त जोन–14 जेडीए द्वारा गृह निमार्ण सहकारी समिति के पदाधिकारियों से आपसी मिलीभगत पूर्वक राजस्व हानि कारित कर नई सूची के सदस्यों (प्लाटधारकों), समिति के पदाधिकारीगण, जेडीए के अधिकारी/कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हुआ है। पुरानी मूल सूची का गायब होना एंव समाचार पत्रों में नई सूची प्रकाशित होने के कृत्य के दौरान जेडीए में श्री अवधेश सिंह तत्कालीन उपायुक्त जोन सं0 14 एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण तथा पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर कार्यालय सी–18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर के अध्यक्ष पद पर श्री राकेश कटारिया एवं अन्य पदाधिकारी थे। जिनको मूल सूची 828 सदस्यों की होना ज्ञात होते हुये भी उससे भिन्न 439 सदस्यों की नई सूची का प्रकाशन करवाया। जेडीए/ पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जाकर अस्पष्ट रुप से जवाब दिये गये हैं। सयुंक्त रजिस्ट्रार (सहकारिता) जेडीए ने भी अपने पत्रांक 1824 दिनांक 11.06.2015 में दिनांक 26.12.2012 से पूर्व व पश्चात की पृथक से सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है तथा जेडीए से प्राप्त पत्रावली की छायाप्रति में कहीं भी 828 की सदस्यों की मूल सूची सलंग्न नहीं है।

जेडीए से प्राप्त पत्रावली में समिति द्वारा बाद में प्रस्तुत की गई सूची के अवलोकन से पाया गया है कि परिवादिया द्वारा उल्लेखित भूखण्ड धारियों के नाम उक्त सूची में नहीं है। पटेलनगर गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर के पदाधिकारी, इस संबंध में लाभ प्राप्त

किये हुये संबंधित प्लॉटधारक व ज0वि0प्रा0जयपुर के तत्कालीन अधिकारी कर्मचारीगणों ने आपस में मिलि–भगत कर अपने पदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर लाभ प्राप्त करने हेतु भूखण्डों का अन्तरण/हस्तान्तरण/उप विभाजन किया जाना प्रमाणित पाया गया है। जबकि वर्ष 1999 के पश्चात ऐसा किये जाने का प्रावधान नहीं है। बिना रजिस्टर्ड डीड के अन्तरण/हस्तान्तरण/उप विभाजन कर संशोधित सदस्यता सूची प्रस्तुत किया जाना सम्पति अन्तरण अधिनियम (टी0पी0 एक्ट) 1882 की धारा 54 का उल्लघंन राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की राजस्व हानि कारित की गई है। जिससे यह प्रमाणित है, कि भूमि का अन्तरण/उप विभाजन कर भूमि के स्टाम्प डयूटी की राजस्व हानि की जाकर पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग किया गया।

पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर कार्यालय सी–18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना शिवदासपुरा, जयपुर को अपने पत्रांक दिनांक 13.03.2015 में एक तरफ तो दिनांक 26.12.2012 को भूखण्ड समिति में सरैण्डर कर तत्पश्चात चारों प्लॉट भूखण्ड सं0 डी–17, डी–18, डी–28 व डी–29 का उप विभाजन कर ए–23 से ए–29 तथा ए–43 से ए–49 रिंकु रावत/प्रदीप गुप्ता/रामनिवास बैरवा को आवंटित किया जाना बताया है। वहीं दूसरी और रिजनल ऑडिट आफीसर, कार्यालय मिनी सचिवालय, जयपुर से पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर की योजना इन्द्रप्रस्थ विहार, राधास्वामी सतसंग के पीछे, टोंक रोड़, बीलवा, जयपुर की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति मय योजना के सदस्यता सूची के प्राप्त की गई तो लेखा परिक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट अवधि दिनांक 01.04.2005 से 31.03.2008) (वर्ष 2006–07 से 2007–08) की सदस्यता सूची में उपरोक्त प्लॉटो का रिंकु रावत/प्रदीप गुप्ता/रामनिवास बैरवा के नाम होना पाया जाने से पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर ने हेर–फेर कर सूची जेडीए जोन–14 में प्रस्तुत की जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण 1–श्री अवधेश सिंह आर.ए.एस.तत्कालीन उपायुक्त जोन सं0 14 जेडीए जयपुर, 2–श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर (प्राईवेट व्यक्ति) ,3–श्रीमति नीरू अग्रवाल पत्नि श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी 3–सी–23 मालवीय नगर जयपुर, (प्राईवेट व्यक्ति) 4–श्री राकेश कटारिया तत्कालीन अध्यक्ष पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर कार्यालय सी–18, गायत्री नगर विस्तार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा (प्राईवेट व्यक्ति)एवं अन्य पदाधिकारियों व जेडीए के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्व अपराध धारा 13 (1) (डी),13(2)पी0सी0 एक्ट 1988 व 420, 467, 468, 471, 120बी भा0द0स0 का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से उपरोक्त के विरूद्व विस्तृत अनुसंधान हेतु उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर को प्रेषित है।

(राजेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
(S.U.) एस.यू.प्रथम जयपुर।
ब्यूरो
राज., जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. -प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) 420, 467, 468, 471 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अवधेश सिंह, आरएएस तत्कालीन उपायुक्त जोन संख्या 14 जेडीए, जयपुर 2. श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल निवासी 3-सी-23 मालवीय नगर जयपुर 3. श्रीमती नीरू अग्रवाल पत्नि श्री मनोज कुमार अग्रवाल, निवासी 3-सी-23 मालवीय नगर जयपुर 4. श्री राकेश कटारिया तत्कालीन अध्यक्ष पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 500/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.12.22

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक : 4215-18 दिनांक 28.12.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-1, जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3/शिकायत) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यूरो, एसयू-। जयपुर।

28.12.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।